फर्जीवाड़ा

एमएलटी वेयर हाउस की जांच का मामला, संदिग्ध खरीदी का रुकेगा भुगतान

1671 मूंग व 253 क्विंटल उड़द की हुई फर्जी एंट्री

नवभारत,जबलपुर। भेड़ाघाट शहपुरा के मजीठा स्थित एमएलटी वेयरहाउस में हुई खरीदी के समय मूंग- उड़द की फर्जी एंट्री मामले में की गई जांच में ऑनलाइन दर्शाई गई खरीदी से 1 हजार 671 क्विंटल मूंग और 253 क्विंटल उड़द कम पाई गई है। उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से मिली अनुसार सेवा सहकारी संस्था बसेड़ी द्वारा संचालित इस गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्र में 503 किसानों से 12 हजार 928 क्विंटल मूंग एवं 299 किसानों से 8 हजार 736 क्विंटल उड़द की ऑनलाइन खरीदी दर्ज की गई थी। जबकि जिला स्तरीय दल की जाँच के दौरान यहाँ 11 हजार 257 क्विंटल मूंग और 8 हजार 434 क्विंटल उड़द ही स्टेक में लगी पाई गई।

उप संचालक कृषि ने बताया कि अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शहपुरा के नेतृत्व में गठित जाँच दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एमएलटी वेयर हाउस में मूंग और उड़द संदिग्ध पाई गई खरीदी का भुगतान रोका जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एमएलटी वेयर हाउस में मूंग और उड़द के उपार्जन में अनियमितता बरते जाने की शिकायतों पर जाँच के आदेश कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दिये थे। जाँच के लिये अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शहपुरा के नेतृत्व में जिला स्तरीय दल का गठन किया गया था।

पोर्टल पर एंट्री ही नहीं

जानकारी के अनुसार जांच के दौरान वेयर हाउस में फर्श पर रखा 324 क्विंटल मूंग एवं 285.5 क्विंटल उड़द का तुला हुआ स्कंध पाया गया और 237 क्विंटल मूंग एवं 76 क्विंटल उड़द स्टेक पर लगी मिली। लेकिन फर्श पर रखे पाये गये स्कंध तथा स्टेक में लगी पाई गई मूंग और उड़द की पोर्टल पर एंट्री ही नहीं की गई थी।

पूर्व में हो चुका है करोड़ों का भुगतान

डॉ निगम ने बताया कि जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 315 किसानों को मूंग एवं 243 किसानों को उड़द का भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। इसके पूर्व 68 किसानों को मूंग का 1 करोड़ 52 लाख 15 हजार 205 रुपये तथा 47 किसानों को उड़द का 1 करोड़ 7 लाख 63 हजार 205 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

भोपाल कलेक्टर व दो तहसीलदार तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की अवहेलना के मामले को सख्ती से लिया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई दौरान पाया कि विगत सुनवाई पर भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, तहसीलदार कुनाल राउत और चंद्र कुमार ताम्रकार के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें एक सितंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए गये थे। वारंट के बावजूद तीनों अधिकारी न तो हाजिर हुए और न ही उनकी ओर से कोई वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। इस पर एकलपीठ ने नाराजगी व्यक्त हुए तीनों अधिकारियों को आज 2 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये है। भोपाल निवासी अभिषेक तेकाम की ओर से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने एक बिल्डर से ड्यूपलेक्स बुक किया था। समय पर निर्माण नहीं करने पर रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में प्रकरण लगाया।

पटरी से उतरा इंजन, मचा हड़कंप

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेलवे स्टेशन में सोमवार सुबह 8.15 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब भिटौनी रेलवे स्टेशन पर रेल इंजन के पटरी से उतरने की सूचना प्राप्त हुई। मुख्य रेलवे स्टेशन पर एक के बाद एक तीन सायरन के बजते ही रेल कर्मचारी व आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों की माने तो पहले उन्हें लगा कि ये कोई मॉक ड्रिल का हिस्सा है लेकिन आनन फानन में रवाना हुई दुर्घटना राहत गाड़ी को देखते ही किसी अनहोनी के होने का अंदाजा लगाया जा चुका था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भिटौनी रेलवे स्टेशन के लूप लाइन से मालगाड़ी को छोड़ मेन लाइन पर आ रहा सिंगल रेल इंजन सोमवार सुबह लूप लाइन में ही डिरेल हो गया था। जिसके चलते मुख्य रेलवे स्टेशन से एक दुर्घटना राहत गाड़ी भिटौनी स्टेशन भेजी गई जिसमे काम करने वाले कर्मचारियो के साथ साथ अन्य राहत सामग्री मौजूद थी। सूत्रों के अनुसार डिटेल हुए रेल इंजन को कुछ ही समय के भीतर वापस पटरी पर रख दिया गया था। इस हादसे में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वही रेलवे द्वारा दुर्घटना पर जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

हैदराबाद से लाये गए 19 घोड़ों की मौत, एफआईआर दर्ज

जबलपुर। रैपुरा स्थित ठाकुर फार्म में 19 घोड़ों की मौत के मामले में सचिन तिवारी एवं हैदराबाद की फर्म हेथा नेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पनागर थाने में पशुओं से क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जानकारी के मुताबिक हैदराबाद रेस क्लब से ठाकुर फार्म ग्राम रैपुरा विकासखंड पनागर जिला जबलपुर में कुल 57 घोड़ो को सड़क मार्ग से परिवहन कर लाया गया। यह परिवहन ट्रकों के माध्यम से सचिन तिवारी पिता डी के तिवारी 42 वर्ष निवासी महाराजपुर वार्ड नंबर 75 द्वारा किया गया। इस परिवहन की किसी भी प्रकार की सूचना जिला प्रशासन व पशुपालन विभाग जिला जबलपुर को नहीं दी गई और न ही ग्राम रैपुरा में घोड़ों को स्थापित करने की अनुमति ग्राम पंचायत रैपुरा से ली गई। घोड़ों के बीमार होने की सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा दल द्वारा ग्राम रैपुरा में अश्वों का इलाज किया गया था। सोमवार की स्थिति में कुल 57 में से 19 की मौत हो चुकी है। घोड़ों में ग्लैंडर्स बीमारी की सम्भावना, जूनोटिक रोगों की निगरानी व निदान के लिए नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने के आदेश जारी किये थे। जांच में यह बात सामने आई कि एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन के दौरान क्रूरता पूर्वक घोड़ों को लाया गया था। पर्याप्त आश्रय नहीं होना और क्रूरता पाई गई। जिसके बाद घोड़ों के केयर टेकर सचिन तिवारी, हेथा नेट इंडिया प्राइवेट कम्पनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

आज और कल नहीं आएंगे नल

जबलपुर। कुली हिल टैंक को भरने वाले क्षतिग्रस्त पाईप लाईन को बदला जाना है जिसके चलते आज सांयकालीन एवं कल प्रात:कालीन जलापूर्ति अवरुद्ध रहेगी। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री जल कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि ललपुर जल प्रदाय योजनांतर्गत कुली हिल टैंक को भरने वाले क्षतिग्रस्त पाईप लाईन को बदला जाना है जिसके चलते आज सायंकालीन एवं कल तीन सितम्बर 2025 को प्रात:कालीन कुली हिल, सिद्ध बाबा टैंक एवं चांदमारी टैंक से जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।

लापता फैक्ट्री कर्मचारी का मिला कंकाल

हत्या या हादसा : छानबीन में जुटी पुलिस

जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत चकहा नाला के पास झाड़ियों में लापता फैक्ट्री कर्मचारी का कंकाल मिला। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस मर्ग कायम कर छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बिहारी लाल 60 वर्षीय का चार अगस्त को फैक्ट्री के लिए निकला था और वापिस लौटकर नहीं आया। चितिंत परिजनों ने पहले तो अपने स्तर पर पतासाजी की। परिचितों, रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं लगा तो वह पनागर थाने पहुंचे और 6 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराई। सोमवार को चकहा नाला के पास झाड़ियों में एक शव पड़ा मिला। घटना स्थल पर कपड़े, आईडी कार्ड व अन्य सामान मिला जिसके मृतक की शिनाख्त बिहारी लाल कादी के रूप में हुई।

जांच में लापरवाही बरतने का आरोप

परिजनों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि मामले में गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। तलाश और जांच में हीलाहवाली बरतीं। पुलिस की जांच सिर्फ परिजनों के बयान तक ही सीमित थी। उन्होंने हत्या की आशंका जाहिर की है साथ ही कुछ नाम भी पुलिस को बताये है जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

इनका कहना है

मामले की जांच चल रही है परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। प्रारंभिक जांच में मौत पानी में डूबने से होना आया हैं विस्तृत जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

राजेश्वरी, कौरव, सीएसपी

हिट एंड रन : बाईक सवारों को घीसटते ले गया ट्रक, एक की मौत

शारदा मंदिर रिछाई के पास हुआ दर्दनाक हादसा

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत शारदा मंदिर रिछाई के पास बेलगाम ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण रहा कि ट्रक में फंसे बाइक सवारों को चालक घीसटता हुआ काफी दूर तक ले गया हादसे में एक की घटना स्थल एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस को विष्णु सिंह 22 वर्ष निवासी मंडला ने बताया कि वह पोस्ट आफिस नारायणगंज जिला मण्डला में वीपीएम के पद पर कार्यरत है। वह और उसका दोस्त कुलदीप तनवर 22 वर्ष निवासी मण्डला दोनों मोटर सायकल से नारायणगंज से बरेला रिछाई चाय पीने के लिए आ रहे थे। मोटर सायकल कुलदीप तनवर चला रहा था रात लगभग 10 बजे मंगलायतन कालेज और शारदा मंदिर रिछाई के पास पहुंचे थे तभी पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक जीजे 02 वीवी 9086 के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक ट्रक चला कर मोटर सायकल में पीछे से टक्कर मार दिया जिससे वह और कुलदीप नीचे गिर गये गिरने से उसे चोट आयी और कुलदीप ट्रक के नीचे आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक का चालक ट्रक को आगे खडा कर दिया दिया था। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

डीएड की पात्रता के आधार पर दें अनुकंपा नियुक्ति

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने डीएड की पात्रता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता शहडोल निवासी शिवानी कचेर की ओर से अधिवक्ता सुनंदा केशरवानी व राहुल श्रीपाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। उनका 2012 में निधन हो गया था।

छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार दे लाभ

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश शासन को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य वित्तीय लाभ का निर्धारण कर उसका भुगतान करें। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि इस मामले में सरकार की लंबित अपील पर कोई स्थगन मिलता है या अपील स्वीकार होती है तो याचिकाकर्ता उससे प्रभाविता होंगे। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी डॉ. सुशांत सिन्हा, रीवा की डॉ. दीपा खरे, भोपाल निवासी डॉ. अनुराधा मिश्रा सहित अन्य की ओर से यह मामले दायर किये गये है। जिनकी ओर से कहा गया कि उनकी प्राध्यापकों के पद पर वर्ष 2000 से पहले की है। नियमानुसार इनकी पेंशन छठवें वेतन आयोग के हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले में ग्वालियर बेंच ने महेश बाबू वाले प्रकरण में विस्तृत आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिए हैं कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार याचिकाकर्ताओं की पेंशन जारी करें और पेंशन के बकाया की गणना करें और उसी अनुसार उन्हें भुगतान करें। यह कार्रवाई तीन माह के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में मप्र अशासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ की याचिका को अपोषणीय बताते हुए उसे अस्वीकार कर दी।

डकैत गैंग के सरगना को बिहार से उठा लाई पुलिस

रायगढ़ जेल से छूटने के बाद जबलपुर बैंक में डाली थी डकैती

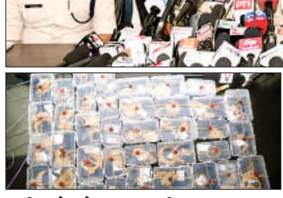

जबलपुर। खितौला स्थित इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक में 11 अगस्त को डकैती डालकर 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5, लाख 8 हजार रूपए लूटकर ले जाने के मामले में पुलिस ने डकैती डालने वाले अंतर्राज्जीय डकैत गिरोह दास गैंग के सरगना डकैत राजेश दास को बिहार के गया से गिरफ्तार कर लिया जिसने 18 जून 2025 को रायगढ़ जेल से छूटने के बाद 11 अगस्त को उसने साथियों के साथ खितौला में डकैती डाली थी। कुख्यात डकैत को शहर लाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और पूछताछ के लिए छह सितम्बर तक पुलिस रिमांड में लिया गया हैं। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से डकैती मै बैंक से लूटा गया आम जनता का गिरवी रखा 3 किलो सोना, जब्त किया गया। यह खुलासा पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में किया। उन्होंने बताया कि मामले मे क्राइम ब्रांच एवं जिला बल की टीमों का एक विशेष जांच दल गठित किया था। आईजी प्रमोद वर्मा द्वारा अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर 30 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। रहीस लोधी और मद्दगार सोनू बर्मन, हेमराज, और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। जिनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1 लाख 83 हजार रूपए नगद, एक कट्टा, चार कारतूस दो मोटरसाइकिल, चार मोबाइल व अन्य सामग्रियां जप्त किया गया था। रईस लोधी ने पूछताछ में राज उगले थे। जिसके आधार पर पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की पतारसी के लिए बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान रवाना किया गया था। टीमों का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम जबलपुर जितेंद्र सिंह के साथ डीएसपी क्राइम उदयभान सिंह बागरी, एसडीओपी सिहोरा आदित्य सिंघारिया, सीएसपी बरगी अंजुल अयंक मिश्रा एवं सीएसपी रांझी सतीश साहू कर रहे थे।

पांच डकैतियां डाल चुका है दुर्दांत डकैत

पकडा गया आरोपी राजेश दास उर्फ आकाश दास एक दुर्दांत अपराधी है जिसने बिहार के जिला गया, सासाराम, जमुई, पुरुलिया रोहतास, गिरडी, छत्तीसगढ के जिला रायगढ के बैंक में लूट, डकैती के 12 अपराध दर्ज है। जो 18 जून 2025 को ही रायगढ़ जेल से छूटा था।

मददगार के जरिए सरगना तक पहुंची

पुलिस को डकैती कांड में उस समय सफलता मिली जब इस गिरोह का एक मददगार इंद्रजीत दास उर्फ सागर दास पिता शंकर दास 26 वर्ष निवासी जिला गया, बिहार का पुलिस के हत्थे चढ़ा जिसने पूछताछ पर गिरोह के सरगना राजेश रवि दास के छुपने का ठिकाना गया जिले के ही डोभी थानांतर्गत बताया, जानकारी लगने पर तत्काल टीम द्वारा दबिश देते हुये गैंग के मुख्य सरगना राजेश दास उर्फ आकाश दास 38 वर्ष पिता स्व जगजीवन दास निवासी जिला गया, बिहार को घेराबंदी कर पकडा गया जिसने सघन पूछताछ करने पर डकैती करना स्वीकार किया।

खेत में छिपा दिया था गोल्ड

डकैतों ने लूटे हुये जेवर एवं रूपये आपस में बांट लिए थे। राजेश ने अपने हिस्से में लगभग 3 किलो सोना और 50,000 नगदी लेना बताया। शेष लूट का सामान बाकी सदस्यों मै बांटना बताते हुये लूटे हुये सोने के जेवरात खेत में छुपाना बताया, आरोपी की निशादेही पर खेत में छिपाये हुये जेवर जप्त किए गए। डकैती की गुत्थी सुलझाने में क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी शैलेश मिश्रा समेत पाटन थाना प्रभारी गोपेन्द्र राजपूत, गोसलपुर थाना प्रभारी राजेश सिंह मर्सकोले, घमापुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को, खितौला थाना प्रभारी अर्चना सिंह जाट समेत अन्य की सराहनीय भूमिका रही।

285 पर चला बुल्डोजर, 300 किए गए थे चिन्हित

3 धार्मिक स्थलों के साथ कुल 15 बचे अतिक्रमणों पर जल्द होगी कार्यवाही

नवभारत,जबलपुर। सड़क चौड़ीकरण को लेकर आनंद कुंज गढ़ा से पंडा की मढ़िया तक 300 मकान पीडब्ल्यूडी विभाग ने चिन्हित किए थे जिसमें से नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने अभी तक 285 मकान के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिए हैं। बचे 15 अतिक्रमणों पर कार्रवाई जल्द ही हो जाएगी। जानकारी के अनुसार दो व्यक्तियों के केस हाईकोर्ट में लगे हैं इस कारण इनके खिलाफ अभी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार इन अतिक्रमणों में एक पंडा की मढ़िया का मंदिर, गढ़ा बाजार स्थित भैरव बाबा मंदिर और एक मस्जिद भी धार्मिक स्थलों में शामिल है। नगर निगम के अतिक्रमण विभाग के जिम्मेदारों की माने तो उन्हें आनंद कुंज से लेकर पंडा की मढ़िया के बीच मौजूद बचे हुए अतिक्रमण 1 सप्ताह के अंदर हटाने के निर्देश मिले हैं। गौरतलब है कि 53 फीट सड़क करने के लिए सड़क के दोनों ओर जमे अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते द्वारा सबसे पहले विगत 3 जून को हटाने बुल्डोजर चलाया गया था। इन अतिक्रमणों में कई दुकानदारों की दुकानें भी टूट गईं थीं। हालांकि इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने कार्यवाही का विरोध किया था लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक नहीं चली और अंतत: सभी अतिक्रमण ढहा दिए गए। जब निगम का बुल्डोजर आनंद कुंज से लेकर पंडा की मढ़िया वाली सड़क किनारे अतिक्रमण पर नहीं चला था तो राहगीरों का इस सड़क से निकलना दूभर हो जाता था। अब अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है जिससे जाम के हालात न बने और सड़क लोगों को नजर आए।

ये दो व्यक्ति गए हाईकोर्ट

गढ़ा बाजार निवासी याचिकाकर्ता महेंद्र कुमार कोष्टा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि महेंद्र का परिवार वर्ष 1935 से उक्त जमीन पर रह रहे हैं जो कि पूर्वजों द्वारा मिली है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की जब तक वैधानिक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अतिक्रमण पर रोक लगा दी जाए। इनके अलावा एक और व्यक्ति ने हाईकार्ट की शरण ली है।

इनका कहना है-

हमें निर्देश मिले हैं कि 53 फीट सड़क के चौड़ीकरण में बाधक बन रहे बचे हुए अतिक्रमणों को 1 सप्ताह के अंदर हटा दिया जाए। अब निर्देश के अनुसार आगामी दिनों में अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की जाएगी। अभी तक अतिक्रमण दस्ते द्वारा करीब 285 अवैध अतिक्रमणों को ढहा दिया गया है।

मनीष तड़से
अतिक्रमण शाखा प्रभारी ननि जबलपुर

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57